न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 341/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/487)

वादीगण बनाम	प्रतिवादीगण
1. नवजोत सिंह धंजू पुत्र हरदेव सिंह जाति कम्बोज निवासी 19 एफ ज्वालेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. प्रवदीप सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति कम्बोज निवासी 19 एफ ज्वालेवाला तहसील श्रीकरणपुर।	1. बलवीर कौर पुत्री हरनाम सिंह पत्नी ज्ञान सिंह जाति कम्बोज निवासी 40 एच बी तहसील श्रीकरणपुर। 2. बलजिन्द्र कौर पुत्री हरनाम सिंह पत्नी करनैल सिंह जाति कम्बोज निवासी बुर्ज सिधवां श्री मुक्तसर साहिब पंजाब। 3. कुलविन्द्र कौर पुत्री हरनाम सिंह पत्नी गुरदीप सिंह जाति कम्बोज निवासी 28 बीबी तहसील पदमपुर। 4. सतविन्द्र कौर पुत्री हरनाम सिंह पत्नी बलदेव सिंह जाति कम्बोज निवासी 28 बीबी तहसील पदमपुर। 5. जसविन्द्र कौर पुत्री हरनाम सिंह पत्नी दर्शन सिंह जाति कम्बोज निवासी 32 जीबी तहसील विजयनगर। 6. हरदेव सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति कम्बोज निवासी 19 एफ ज्वालेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 7. गुरमीत कौर पुत्री हरनाम सिंह पत्नी कश्मीर सिंह जाति कम्बोज निवासी मलकपुर, नगल दियाल सिंह श्री अमृतसर पंजाब। 8. नरेन्द्र कौर पुत्री हरनाम सिंह पत्नी जसविन्द्र सिंह जाति कम्बोज निवासी 7 जीबी ए तहसील विजयनगर। 9. शविन्द्र कौर पुत्री हरनाम सिंह पत्नी परमजीत सिंह जाति कम्बोज निवासी 21 पी एस तहसील रायसिंहनगर। 10. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू 04.11.2025

उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण
2.श्री मोहित कुमार गोयल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 9

दिनांकः 07.01.2026

––निर्णय––

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की दादी ईसर कौर पत्नी हरनाम सिंह के नाम राजस्व ग्राम 19 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू. अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 08/07 के मुरब्बा नम्बर 23, 28, 42 की कुल 3.452 हैक्टेयर भूमि में से 1.553 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 9/8 के मुरब्बा नम्बर 26, 28, 51, 52, 61, 74, 86/9, 86/17, 86/23 की कुल 14.429 हैक्टेयर भूमि में से 4.328 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 10/9 के मुरब्बा नम्बर 22, 45 की कुल 4.427 हैक्टेयर भूमि में से 0.996 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 11/10 के मुरब्बा नम्बर 44, 52, 61, 86/55 की कुल 3.933 हैक्टेयर भूमि में से 0.393 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 62/59 के मुरब्बा नम्बर 63, 64, 65 की कुल 7.968 हैक्टेयर भूमि में से 1.177 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। खातेदार ईसर कौर पत्नी हरनाम सिंह का देहान्त दिनांक 03.11.2021 को गांव 19 एफ ज्वालेवाला में हो चुका है। मृतक ईसर कौर के पति हरनाम सिंह का पूर्व में देहान्त हो चुका है। दोनों के देहांत के पश्चात् उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है। इसके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है। मृतक ईसर कौर वादीगण की सगी दादी है। मृतक ईसर कौर पत्नी हरनाम सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी स्वेच्छा व स्वतंत्रता से अपने नाम से दर्ज कृषि भूमि की लिखित वसीयत दिनांक 28.01.2020 रूबरू गवाह नरेन्द्र कौर व रणजीत सिंह वादीगण के पक्ष में निष्पादित करवा दी थी।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मृतक ईसर कौर के नाम से वर्णित भूमि पर वादीगण का बहिस्सा बराबर उनके जीवनकाल में कब्जा काश्त था तथा उनकी मृत्यू के पश्चात् भी वादीगण बहिस्सा बराबर भूमि पर काबिज है। उक्त भूमि आज भी मृतक ईसर कौर के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से आग्रह किया कि वह सहमति से मुताबिक वसीयत के अनुसार भूमि का नामातंरण वादीगण के पक्ष में करवा देवें, लेकिन वादीगण की भुआ प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 पृथक-पृथक स्थानों पर अपने परिवार सहित आबाद है, जो एक साथ एकत्रित होने में असमर्थ का कथन करते है और वादीगण को कहते है कि मुताबिक वसीयत कब्जा काश्त आपके पास है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम समय अनुसार आपको वसीयत का नामातंरण राजस्व अभिलेख में करवा देगें। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की दादी ईसर कौर पत्नी हरनाम सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 19 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 08/07 के मुरब्बा नम्बर 23, 28, 42 की कुल 3. 452 हैक्टेयर भूमि में से 1.553 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 9/8 के मुरब्बा नम्बर 26, 28, 51, 52, 61, 74, 86/9, 86/17, 86/23 की कुल 14.429 हैक्टेयर भूमि में से 4.328 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 10/9 के मुरब्बा नम्बर 22, 45 की कुल 4.427 हैक्टेयर भूमि में से 0.996 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 11/10 के मुरब्बा नम्बर 44, 52, 61, 86/55 की कुल 3.933 हैक्टेयर भूमि में से 0.393 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 62/59 के मुरब्बा नम्बर 63, 64, 65 की कुल 7.968 हैक्टेयर भूमि में से 1.177 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को वसीयत दिनांक 28.01.2020 की रूह से बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहित कुमार गोयल उपस्थित आए व जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार हस्तगत प्रकरण के सम्मन प्राप्त होने पर हम प्रतिवादीगण को वादीगण के साथ दिनांक 21.11.2025 को राजीनामा हो चुका है। पारिवारिक सहमति के अनुसार वसीयत दिनांक 28.01.2020 के आधार पर वादीगण के पक्ष में उक्त प्रकरण सादिर डिक्री किया जाता है, तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज, आपत्ति नहीं है। वादीगण नवजोत सिंह, प्रवदीप सिंह व प्रतिवादीगण बलवीर कौर, बलजिन्द्र कौर, कुलविन्द्र कौर, सतविन्द्र कौर, जसविन्द्र कौर, हरदेव सिंह, गुरमीत कौर, नरेन्द्र कौर, शविन्द्र कौर के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। दोनों पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। राजीनामा अनुसार वसीयत दिनांक 28.01.2020 ईसर कौर बहक नवजोत सिंह धंजू, प्रवदीप सिंह के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है, तो उभयपक्ष को कोई एतराज नहीं है। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बंद किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज किया कि खाता संख्या 9 के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 19 से 25 की कुल 1.682 हैक्टेयर भूमि कें संबध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एक सिविल प्रकरण संख्या 19793/2025 अनवान हरदेव सिंह बनाम राजस्थान सरकार विचाराधीन है। इसलिए उक्त प्रकरण में खाता संख्या 9 में वर्णित भूमि खातेदार ईसर कौर की भूमि के संबध में नोट अंकित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे। नकल प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई, प्रतिवादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अनापत्ति जाहिर की। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र वसीयत दिनांक 28.01.2020 की रूह से डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण का वादपत्र, वसीयत दिनांक 28.01.2020, मृत्यू प्रमाण पत्र ईसर कौर, का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र, वसीयत दिनांक 28.01.2020 मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर ईसर कौर पत्नी हरनाम सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 19 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 08/07 के मुरब्बा नम्बर 23, 28, 42 की कुल 3.452 हैक्टेयर भूमि में से 1.553 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 10/9 के मुरब्बा नम्बर 22, 45 की कुल 4.427 हैक्टेयर भूमि में से 0.996 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 11/10 के मुरब्बा नम्बर 44, 52, 61, 86/55 की कुल 3.933 हैक्टेयर भूमि में से 0.393 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 62/59 के मुरब्बा नम्बर 63, 64, 65 की कुल 7.968 हैक्टेयर भूमि में से 1.177 हैक्टेयर भूमि का वादीगण नवजोत सिंह धंजू, प्रवदीप सिंह पिसरान हरदेव सिंह को वसीयत दिनांक 28.01.2020 की रूह से बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. नवजोत सिंह धंजू पुत्र हरदेव सिंह जाति कम्बोज निवासी 19 एफ ज्वालेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. प्रवदीप सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति कम्बोज निवासी 19 एफ ज्वालेवाला तहसील श्रीकरणपुर।	1. बलवीर कौर पुत्री हरनाम सिंह पत्नी ज्ञान सिंह जाति कम्बोज निवासी 40 एच बी तहसील श्रीकरणपुर। 2. बलजिन्द्र कौर पुत्री हरनाम सिंह पत्नी करनैल सिंह जाति कम्बोज निवासी बुर्ज सिधवां श्री मुक्तसर साहिब पंजाब। 3. कुलविन्द्र कौर पुत्री हरनाम सिंह पत्नी गुरदीप सिंह जाति कम्बोज निवासी 28 बीबी तहसील पदमपुर। 4. सतविन्द्र कौर पुत्री हरनाम सिंह पत्नी बलदेव सिंह जाति कम्बोज निवासी 28 बीबी तहसील पदमपुर। 5. जसविन्द्र कौर पुत्री हरनाम सिंह पत्नी दर्शन सिंह जाति कम्बोज निवासी 32 जीबी तहसील विजयनगर। 6. हरदेव सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति कम्बोज निवासी 19 एफ ज्वालेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 7. गुरमीत कौर पुत्री हरनाम सिंह पत्नी कश्मीर सिंह जाति कम्बोज निवासी मलकपुर, नगल दियाल सिंह श्री अमृतसर पंजाब। 8. नरेन्द्र कौर पुत्री हरनाम सिंह पत्नी जसविन्द्र सिंह जाति कम्बोज निवासी 7 जीबी ए तहसील विजयनगर। 9. शविन्द्र कौर पुत्री हरनाम सिंह पत्नी परमजीत सिंह जाति कम्बोज निवासी 21 पी एस तहसील रायसिंहनगर। 10. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आरटीए
मुकदमा नम्बर **341/2025**
निर्णय दिनांक :-07.01.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री मोहित कुमार गोयल उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर ईसर कौर पत्नी हरनाम सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 19 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 08/07 के मुरब्बा नम्बर 23, 28, 42 की कुल 3.452 हैक्टेयर भूमि में से 1.553 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 10/9 के मुरब्बा नम्बर 22, 45 की कुल 4.427 हैक्टेयर भूमि में से 0.996 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 11/10 के मुरब्बा नम्बर 44, 52, 61, 86/55 की कुल 3.933 हैक्टेयर भूमि में से 0.393 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 62/59 के मुरब्बा नम्बर 63, 64, 65 की कुल 7.968 हैक्टेयर भूमि में से 1.177 हैक्टेयर भूमि का वादीगण नवजोत सिंह धंजू, प्रवदीप सिंह पिसरान हरदेव सिंह को वसीयत दिनांक 28.01.2020 की रूह से बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।
आज दिनांक 07.01.2026 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(श्योराम) (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांकः रीडर/2026/09 दिनांकः 07.01.2026

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)